Title: Need to withdraw custom duty imposed on old ships to save shipping industry from financial crises – Laid.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार के बंदरगाह एवं मतस्य उद्योग विभाग ने जनवरी, 2003 को एक पत्र लिखकर भारत सरकार के राजस्व विभाग को शिप ब्रिकिंग के जलयानों पर बढ़ायी गयी कस्टम डयूटी को घटाने का अनुरोध किया है। जैसाकि विदित है निर्माण कार्य में उपयोगी स्टील उत्पादक री-रोलिंग मिलों को कच्चा माल सप्लाई करने में शिप ब्रिकिंग उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। अन्तर्राट्रीय प्रतिस्पर्धा, ब्रिकिंग के लिए जलयानों की ऊंची दरों में खरीददारी तथा लौहे के भंगार का कम भाव मिलना इत्यादि कारणों से यह उद्योग वर्तमान में बहुत ही वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।

ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार के राजस्व विभाग ने पुराने जलयानों पर कस्टम डयूटी 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है, जिससे शिप उद्योग पर निश्चित ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सदन के माध्यम से मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वे राजस्व विभाग को निर्देश दें कि पुराने जलयानों पर बढ़ायी गयी कस्टम डयूटी को हटाने के संदर्भ में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ताकि प्रदेश के शिप ब्रिकिंग उद्योग को पनपने में सहयोग मिल सके।